समयबद्ध

संख्या-4/2021/13(3)/2021/का-1-2021

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊः 14 जून, 2021**

विषयः- दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटाये गये/ सेवा से पदच्युत तथा अन्य अधिरोपित वृहद दण्ड/लघु दण्ड की संख्यावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणधीन समस्त कार्मिकों के संबंध में दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2021 तक सरकारी सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटाये गये/ सेवा से पदच्युत तथा अन्य अधिरोपित वृहद दण्ड/लघु दण्ड की संख्यावार संकलित विवरण अपने हस्ताक्षर से निम्नवत प्रारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनाये अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 18-06-2021** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप **दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-03-2021 तक की अवधि** **विभाग का नाम**				
	अनिवार्य सेवानिवृत्त	सेवा से हटाये गए/सेवा से पदच्युत	अन्य वृहद दण्ड	लघु दण्ड
समूह-क				
समूह-ख				
समूह-ग				
समूह-घ				
योग				
विभागीय प्रमुख के हस्ताक्षर				

भवदीय

(शीतला प्रसाद)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in